न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 5/2019 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. रामनाथ पुत्र श्रवण
2. जैना पुत्र सोन्या
3. हजारी पुत्र भोल्या
4. कैलाश पुत्र रामधन
5. श्रीनारायण पुत्र रामधन
6. प्रभूदयाल पुत्र किलाण
7. चिरंजी पुत्र नारायण
8. हरलाल पुत्र श्रवण
9. कालू पुत्र सोन्या
10. रामकेश पुत्र रेवड़
11. गबदू पुत्र किलाण

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गांगदवाड़ी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र भौलू (फौत)
   1/1 सुगनी देवी पत्नि प्रेमचन्द
   1/2 अशोक पुत्र प्रेमचन्द
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जगरामपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी दक्षिणीपुरी दिल्ली मकान नम्बर 1126 जगरामपुरा वाले।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
3. हरिकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी ईसवाना तहसील रैणी जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र उजरात अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध अलाटमेन्ट दिनांक 10.07.75 एस.डी.ओ. दौसा भूमि खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 16 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गांगदवाड़ी तहसील सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति : श्री रिद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: अप्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 अनुपस्थित।
: श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांकः 27.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गांगदवाड़ी में भूमि खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 16 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिसे प्रार्थीगण जायदाद 50 वर्षों से अधिक समय से अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीयान के पास भूमि काश्त के लिये है और प्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं जिससे भूमि विवादग्रस्त को एक बंध अपने निजी खर्चे से बना चाही की सूरत में कर काश्त करते आ रहे हैं। किन्तु तहसीलदार सिकराय द्वारा भूमि का आवंटन आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया गया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.7.1975 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम पेश किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:43:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायालय में प्रस्तुत होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गांगदवाड़ी तहसील सिकराय में भूमि खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 16 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिसे प्रार्थीगण जायदज 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीयान के पास भूमि काश्त के लिये कम है इसलिये प्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं जिससे भूमि विवादग्रस्त को एक बंध अपने निजी खर्चे से बना चाही की सूरत बनाकर काश्त करते आ रहे हैं। किन्तु तहसीलदार सिकराय द्वारा भूमि का आवंटन आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया गया है जबकि उक्त आवंटनशुदा भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई उद्‌घोषणा नहीं की गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। आवंटन होने के पश्चात उक्त आवंटन के आधार पर आवंटन के लगभग 2 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन का नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम रिपोर्ट के एवं मौके व तथ्यों के विपरीत आवंटित भूमि का खसरा नम्बर डालकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जिस समय उक्त नामान्तरकरण खोला गया मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं ली गई व राजस्व कर्मचारियों एवं अप्रार्थी संख्या 1 की फर्जी एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण खोल दिया गया। आवंटन के पश्चात भी आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। जबकि आवंटन के नियमों के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आवश्यक होता है। किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की कोई पालना नहीं की गई। ऐसी सूरत में उक्त आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन नियमों के मुताबिक अनओकोपाईड भूमि की कोई लिस्ट विवादग्रस्त नम्बरान की नियमानुसार न होने पर भी आवंटन नियमानुसार करने में अहम गलती फरमाई है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन नियमों के अनुसार अगर अनओकोपाईड भूमि की लिस्ट बनती तो हरगिज आवंटित भूमि विवादग्रस्त नहीं हो सकती थी। सम्बन्धित पटवारी की रिपोर्ट तक अलाटमेन्ट के समय या पहले नहीं ली गई। आवंटन में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में यह माना है कि अलाटमेंट कमेटी को कोई सूचना तक नहीं दी गई व न ही प्रोक्लेमेशनर जारी किया गया। अलाटमेन्ट कमेटी में मैम्बरान को शामिल नहीं किया गया। सरपंच तक को शामिल नहीं किया गया। अलोटमेन्ट कमेटी के मैम्बरान की न उपस्थिति है और न ही हस्ताक्षर हैं। इससे आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं जिसके अनुसार मातहत से भूमि प्रार्थीगण के हक में रेगुलाईज न फरमाकर अलॉटमेन्ट करने की विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का बजमाने बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च करके भूमि का विकास किया है और उसको काश्त योग्य बनाया है। आवंटन के समय व आवंटन से पूर्व भूमि खाली नही थी। आवंटन की कार्यवाही ना तो मजमे आम में हुई ना ही आवंटन कमेटी का कोरम पूरा था, न आवंटन की सिफारिश पर सरपंच आदि के कोई हस्ताक्षर है, इसलिये आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन फार्म भी विधिवत नहीं भरा गया है न ही सत्यापन किया गया है तथा फार्म भी अपूर्ण [illegible] है। आवंटन की कार्यवाही गुपचुप में की गई है। प्रार्थीगण को इसकी जानकारी दिनांक 9.5.20[illegible] को [illegible] हुई जब अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिजनों के साथ प्रार्थीयान की उक्त भूमि पर लाठी डण्डे लेकर आ[illegible] और भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। इस पर प्रार्थीयान ने आवंटन आदेश की न[illegible] के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 10.5.2018 को नकल प्राप्त हुई। आवंटन जो कि फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराया गया है के विरूद्ध उजरात प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे आवंटन को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। किन्तु फिर भी रफाए हुज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 10.7.1975 को निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:26 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) मनगढन्त झूंठे तथ्य अंकित कर नियमानुसार अलॉट हुई भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गांगदवाडी के अलॉटमेन्ट होने के 44 वर्ष बाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 17 में अलॉटमेन्ट की जानकारी दिनांक 09.05.2018 को होना अंकित किया है तथा आवंटन आदेश की नकल 10.05.2018 को मिलने पर उक्त भूमि के अलॉटमेन्ट की जानकारी का अंकन किया है जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगणों को उक्त अलॉटमेन्ट की जानकारी अलॉटमेन्ट हुआ तब से ही थी लेकिन मनगढन्त रूप से दफा 5 में कोई ठोस कारण दर्शाये बिना ही मनगढन्त कहानी रचकर प्रार्थना पत्र 14(4) व प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकन किया है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा भूमि का आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया जबकि आवंटन तहसीलदार सिकराय के द्वारा नहीं किया गया है जिसका स्पष्ट प्रमाण आवंटन आदेश देखने से होता है। जिससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने आपको भूमिहीन बताया गया है जबकि सभी प्रार्थीगण के पास काफी भूमि है। प्रार्थीगण भूमिहीन नहीं है। अप्रार्थी प्रेमचन्द सेना में नौकरी करता था जिसे सरकार द्वारा भूमि अलॉट करने के आदेश दिये गये थे। उक्त अलॉटमेन्ट होने के पूर्व भूमि आवंटन करने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर जयपुर तथा सेकेटरी डी.एस.एस. एण्ड ए. बोर्ड जयपुर को पत्राचार किया गया तथा उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा भी तहसीलदार सिकराय, डी.एस.एस. एण्ड ए. बोर्ड जयपुर तथा अन्य उच्चाधिकारियों को भूमि के आवंटन बाबत् सूचना दी गई तथा प्रेमचन्द के उच्चाधिकारियों द्वारा नियमानुसार सैनिक सेवक को भूमि अलॉटमेन्ट हेतु जिला कलक्टर दौसा तथा डी.एस.एस. एण्ड ए. बोर्ड जयपुर तहसीलदार सिकराय को लेटर लिखा गया तथा उक्त भूमि अलॉटमेन्ट होने से पूर्व सैनिक सेवक प्रेमचन्द के उच्चाधिकारी एवं जिला कलक्टर के मध्य अनेकों बार भूमि अलॉटमेन्ट करने बाबत् पत्राचार हुआ जिसके पश्चात् दिनांक 10.07.1975 को खसरा नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रेमचन्द पुत्र भौलूराम जाति बैरवा निवासी जगरामपुरा तहसील सिकराय को किया गया तथा नियमानुसार प्रेमचन्द को उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तब से ही प्रेमचन्द अलॉटमेन्ट शुदा खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कभी स्वयं काश्त करता है एवं कभी अपने साझेदार से बटाई पर काश्त करवाता रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं का कभी भी किसी प्रकार से कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार हुआ है। उक्त भूमि का अलॉटमेन्ट गुपचुप तरीके से नहीं हुआ है। नियमानुसार आवंटन हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढन्त कहानी रचकर 44 वर्ष बाद अलॉटमेन्ट निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद प्रेमचन्द के वारिसों द्वारा काबिज होकर काश्त की जा रही थी। प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रेमचन्द के वारिसों के नाम दर्ज हुआ तथा प्रेमचन्द के वारिस अशोक कुमार पुत्र प्रेमचन्द, नत्थी देवी, सुनीता पुत्री प्रेमचन्द बैरवा के द्वारा भूमि का बेचान हरिकिशन पुत्र कन्हैयालाल बलाई निवासी ईसवाना तहसील रैणी जिला अलवर को किया गया तथा नियमानुसार उपपंजीयक महोदय सिकराय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20.08.2018 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया तब से उक्त भूमि पर हरिकिशन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से अन्य किसी का कोई लेना देना वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने मनगढन्त कहानी रचकर झूंठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे हरिकिशन को पक्षकार नहीं बनाया। हरिकिशन को उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी पर उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायालय द्वारा हरिकिशन को बतौर पक्षकार बनाया गया। उक्त भूमि आवंटन के समय से ही अनुसूचित जाति की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है और आज भी अनूसूचित जाति की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का खातेदार कब्जे काश्त हरिकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी ईसवाना तहसील रैणी जिला अलवर है। प्रार्थीगण द्वारा बनाई निराधार एवं झूंठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:26 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 5/2019

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.07.75 उप जिलाधिकारी दौसा द्वारा पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया उक्त आवंटन आदेश के संदर्भ में आवंटन कमेटी की सिफारिश एवं आवंटन कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन आदेश बिना आवंटन कमेटी की सिफारिश के किया गया है। आवंटनशुदा भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की उद्घोषणा भी जारी किया जाना मूल अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। आवंटन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त भूमि आवंटन आदेश जारी किये जाने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसलिये उक्त भूमि आवंटन आदेश विधि विरूद्ध जारी किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत आवंटन नियम स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.07.75 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल आंवटन अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:26 IST
Reason: SelfAttested